





उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टियों की जाने पर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रसूति टिकट में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ उसके अनुरूप है।

  
मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय।
3. परियोजना निदेशक, एमएच, मुख्यालय।
4. अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल।
5. अधीक्षक, समस्त जिला/उप जिला अस्पताल/सीएचसी इंचार्ज।
6. समस्त ब्लॉक सीएमएचओ को भेजकर लेख है कि उनके ब्लॉक में आने वाली समस्त स्वास्थ्य संस्थाएँ जिन पर ओजस के माध्यम से जेएसवाई व एसएलवाई का भुगतान किया जा रहा है यह सुनिश्चित करें कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर की जा रही प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से भरा जावे ताकि लाभार्थियों को देय भुगतान में अनावश्यक योगदान ना हो।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भेजकर लेख है कि वे पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर की जा रही प्रविष्टियाँ को सही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

  
निदेशक (आरसीएच)